

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 940]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2025 — अग्रहायण 13, शक 1947

गृह विभाग, सी-अनुभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-108/गृह-सी/2017.— छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-108 /गृह-सी/2017, दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 में वृद्धि करते हुए “जे.जे.एम.पी.(झारखण्ड जन मुक्ति परिषद्)” को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 4th December 2025

NOTIFICATION

F. No. 4-108/Home-c/2017.— In exercise of the powers conferred by sub- section(1) of Section 3 of the Chhattisgarh Vishes Jan Suraksha Adhiniyam 2005(No.14 of 2006), the State Government hereby, extends the notification of this Department No. F-4-108/Home-c/2017, dated 05 December, 2024 and declares "J.J.M.P.(Jharkhand Jan Mukti Parisad)" Organisation as Unlawful Organisations for a further period of one year.

This Notification will remain in force for one year in Chhattisgarh with effect from 05 December, 2025.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. CHOUHAN, Deputy Secretary.